

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-23.06.16

संख्या-12/प्रो-12006/11-सा0प्रो- 8927 / विभागीय परिपत्र संख्या-4800 दिनांक-01.4.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को उप सचिव/समकक्ष स्तर के पे-बैंड रू0 15600-39100 + ग्रेड पे-रू0 6600/- में औपबधिक रूप से उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 3 में अंकित तिथि से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं कोटि क्रमांक	प्रोन्नति की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री खुशींद आलम खाँ, 390/11	दि०-22.12.09 से	विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना
2	श्री जय शंकर मंडल, 520/11,	दि०-18.12.08 से	वित्त प्रमुख, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि०, पटना
3	श्री उदय प्रताप सिंह, 539/11	दि०-18.12.08 से	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, जहानाबाद
4	श्री भीम प्रसाद, 561/11	दि०-18.12.08 से	वरीय उप समाहर्ता, सहरसा
5	श्री मो० अब्दुल रज्जाक, 566/11	दि०-15.05.09 से	जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया
6	श्री उपेन्द्र प्रसाद, 634/11	दि०-01.01.10 से	विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, पटना

2. उपर्युक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद को उप सचिव/समकक्ष स्तर में उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए उत्क्रमित करते हुए उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

3. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारधीन एस०एल०पी० सं०-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी ।

4. नव प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उन्हें आर्थिक लाभ देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(विजय मोहन नागपटनी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-12/प्रो-12006/2011-सा0प्रो- 8927 /पटना-15, दिनांक- 23.06.16

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अवर सचिव